

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/343/2024

दिनांक- 13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार, जहाजपुर

विषय:- प्र.स.343/2024 अनवान हरजी पिता नन्दा रेगर निवासी कानावतों का खेडा बनाम गजेन्द्र सिंह पिता जवान सिंह राजपुत निवासी कानावतों का खेडा, राजेन्द्र सिंह पिता जवान राजपुत निवासी कानावतों का खेडा, सुगनी देवी पत्नी पप्पुदास वैष्णव कानावतों का खेडा, शंकर लाल पिता गोपीदास वैष्णव कानावतों का खेडा, भैरू पिता खेमा गुर्जर कानावतों का खेडा, जवान सिंह पिता ज्वार सिंह राजपुत कानावतों का खेडा, प्रभू पिता लादू मीणा कानावतों का खेडा, रामलाल पिता जेता गुर्जर कानावतों का खेडा, भंवर सिंह पिता डूंगर सिंह राजपुत कानावतों का खेडा, भंवर सिंह पिता मनोहर सिंह राजपुत कानावतों का खेडा, नारायण पिता मनोहर सिंह राजपुत कानावतों का खेडा, नाहर सिंह पिता मनोहर सिंह राजपुत निवासी कानावतों का खेडा, बबलू पिता नेमीचन्द जैन निवासी खजुरी, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम कानावतों का खेडा प.ह. खजुरी आराजी सं. 14, 15, 17, 61, कुल कित्ता 04 रकबा 1.3516 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजुरी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (जहाजपुर)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

हरजी पिता नन्दा रेगर निवासी कानावतों का खेडा
बनाम

गजेन्द्र सिंह पिता जवान सिंह राजपुत निवासी कानावतों का खेडा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 34/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी है
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कानावतों का खेडा प.ह. खजुरी आराजी सं. 14, 15, 17, 61, कुल कित्ता 04 रकबा 1.3516 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम कानावतों का खेडा प.ह. खजुरी आराजी सं. 14, 15, 17, 61, कुल कित्ता 04 रकबा 1.3516 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजुरी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा